निर्णय ब–इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 25/2023 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये अतुल कुमार बडाया, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्रीमती सरिता जैन पत्नी स्व॰ श्री प्रदीप जैन, निवासी 20–ए, खण्डेलवाल नगर, जामडोली, जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बी.पी.सी.एल. एवं 3 आई.ओ.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 10.400 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सीताराम जांगिड अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 01.09.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस सिलण्डरों से वाणिज्यिक दुरूपयोग की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ दिनांक 17.03.2023 को वैडिंग विला के पीछे, जैम्स गार्डन के सामने आगरा रोड जयपुर स्थित बालाजी किराना स्टोर, जयपुर की जांच की गई। मौके पर दुकान एवं दुकान के रास्ते मकान का निरीक्षण करने पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। सिलेण्डर्स के बारे में पुछताछ करने पर केवल एक घरेलू गैस सिलेण्डर की डायरी दिखाई गई, शेष 4 सिलेण्डर बाबत कोई विधिक दस्तावेज, अनुज्ञापत्र एवं संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार कुल 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बी.पी.सी.एल. एवं 3 आई.ओ.सी.एल.) पाये गये। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर, एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डरर्स की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक एव जनहित की वस्तु होने से धारा–6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 20.03.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सीताराम जांगिड ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वैडिंग विला के पीछे, जैम्स गार्डन के सामने आगरा रोड जयपुर स्थित बालाजी किराना स्टोर, जयपुर की जांच अप्रार्थीया श्री सरिता जैन की उपस्थिति में की गई। की गई। मौके पर दुकान एवं दुकान के रास्ते मकान का निरीक्षण करने पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। सिलेण्डर्स के बारे में पुछताछ करने पर केवल एक घरेलू गैस सिलेण्डर की डायरी दिखाई गई, शेष

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4 सिलेण्डर बाबत कोई विधिक दस्तावेज, अनुज्ञापत्र एवं संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जिसको मौके पर जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। मौके पर मैसर्स आनन्द गैस एजेन्सी राजापार्क जयपुर के प्रतिनिधि श्री अरूण सिंह को बुलाकर घरेलू गैस सिलेण्डर्स का तौल करवाया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर्स में कुल 10.400 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत ना तो कोई वैध दस्तावेज पेश किया गया और ना ही अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वैडिंग विला के पीछे, जैम्स गार्डन के सामने आगरा रोड जयपुर स्थित बालाजी किराना स्टोर, जयपुर की गली के अन्दर इण्डियन गैस एजेन्सी एवं भारत गैस एजेन्सी का वितरण स्थान है तथा उक्त दिनांक को गैस एजेन्सी के कर्मचारी उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर वितरण करने नहीं आये थे। जिसके संबंध में जो उपभोक्ता गैस सिलेण्डर भरवाने आये थे वो अप्रार्थीया की दुकान वितरण स्थान के नजदीक होने से दुकान पर रख कर चले गये, जिसके संबंध में अप्रार्थीया द्वारा भी मौके पर आई टीम को भी अवगत करवाया था। जब्त किये गये सिलेण्डर खाली थे जो उपभोक्ताओं द्वारा भरवाने के लिये अप्रार्थीया की दुकान पर रखे हुये थे। अप्रार्थीया द्वारा अवैध तरीके से गैस सिलेण्डर भकर वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। अप्रार्थीया की परचून की दुकान है जिससे पडोसी दुकानदार ईर्ष्या रखते है इसलिये झूंठी शिकायत कर केवल अप्रार्थीया की प्रतिष्ठा व साख को धूमिल करने के आश्य से कार्यवाही करवाई गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थीया को जब्त किये सिलेण्डर सुपुर्द किय जाने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती का भंलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गयें। दौराने जांच मौके पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर्स पाये गये। अप्रार्थीया द्वारा मौके पर 01 घरेलू सिलेण्डर के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। शेष 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बी.पी.सी.एल. एवं 3 आई.ओ.सी.एल.) मय 10.400 किलोग्राम के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अप्रार्थीया द्वारा जवाब में कथन किया कि जब्त किये गये 04 सिलेण्डर जो खाली थे उपभोक्ताओं द्वारा भरवाने के लिये अप्रार्थीया की दुकान पर रखे हुये थे। जबकि जब्त किये सिलेण्डर का तौल कराने पर उनमें 10.400 किलोग्राम एल.पी.जी. पाई गई। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त धरेलू गैस सिलेण्डर्स से अवैध रूप से भण्डारण कर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (01 बी.पी.सी.एल. एवं 3 आई.ओ.सी.एल.) मय एल.पी.जी. 10.400 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।
9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 20.03.2023 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष जमा कराना सुनिश्चित करें।
10. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर